1

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
86 / 2025	2025 / 209	05.06.2025	23.02.2026

शीर्षक

निर्मला यादव पत्नी ओमप्रकाश यादव, जाति अहीर निवासी ढाणी बल्डा की ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड (राज) **वादीया**

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत घोषणात्मक एवं दुरस्तीकरण

1. वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवीर सैनी के द्वारा पेश वाद पत्र निम्न भांति पेश है कि स्थित ग्राम पावटा तहसील पावटा खसरा नम्बर 1965 / 2 / 0.08 से खसरा नं 1965 / 2 / 0.04 किस्म आवासीय व खसरा नं. 1965 / 7 / 0.04 सिवायचक गै.मु.रास्ता कायम किया गया है। मूल खसरा नं. 1965 / 2 / 0.08 से खसरा नं. 1965. / 7 / 0.04 कायम करते समय समर्पण करते समय खसरा नम्बर अपने मूल खसरा नम्बर की दक्षिणी सीमा से लगता हुआ यानि मूल खसरा नम्बर के दक्षिण में तय किया गया था तथा आज भी मौके पर इसी अनुसार सिवायचक गै.मु.रास्ता के रूप में मौजूद है। खसरा नं. 1965 / 2 / 0.08 से खसरा नं 1965 / 7 / 0.04 को मूल खसरा से अलग कर तरमीम करते समय खसरा नम्बरान को मूल खसरा नम्बर के दक्षिणी सीमा से लगता हुआ तरमीम करने के बजाय खसरा नं. 1965 / 7 / 0.04 को पूर्वी सीमा से लगता हुआ तरमीम कर लिया गया है जो राजस्व दस्तावेज व मौके की स्थिति के विरूद्द किया गया है। इस पर राजस्व कर्मचाारियों द्वारा की गई गलत तरमीम को मौके पर खरीद कर बसे हुए व्यक्तियों व वास्तविक रास्ता की भूमि पर कब्जा कर लेने से आमजन को परेशानी तो सकती है सिवायचक गै.मु.रास्ता भूमि खसरा नं. 1965 / 7 / 0.04 को राजस्व रिकार्ड व मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार मूल खसरा नम्बर 1965 / 2 / 0.08 की पूर्वी दक्षिणी सीमा से लगता हुआ घोषित कर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी/परोकार सरकार से जवाब तल्ब किया गया। परोकार सरकार ने जवाब में बताया कि मूल खसरा नम्बर 1965/2 से नवीन खसरा नम्बर 1965/7 रकबा 0.04 सिवायचक गै.मु.रास्ता बनाया गया था यह रास्ता सर्मपणनामा के जरिये नामान्तकरण सं. 3194से बनाया गया था। नामान्तकरण सं. 3194 मौजा पावटा की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार रास्ता आराजी खसरा नम्बर 1965/2 की दक्षिणी सीमा पर कायम हुआ है एवं सर्मपणनामा के साथ संलग्न नक्शा में भी रास्ता खसरा नम्बर 1965/2 की दक्षिणी सीमा पर प्रस्तावित किया हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 1965/7 रकबा 0.04 है0 गै.मु. रास्ता की तरमीम करते समय खसरा नम्बर 1965/2 के दक्षिणी सीमा पर तरमीम ना करके पूर्वी सीमा पर तरमीम कर दी गई।

3. जवाब पेश होने पर वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने अपनी बहस मे बताया कि सिवायचक (सर्मपणनामा से) गै.मु.रास्ता भूमि खसरा नं. 1965/7/0.04 को राजस्व रिकार्ड व मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार मूल खसरा नम्बर 1965/2/0.08 की पूर्वी दक्षिणी सीमा से लगता हुआ घोषित कर दुरूस्त किया जावे। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सुसंगत अध्ययन कर मूल्यांकन किया गया। खसरा नम्बर 1965/7/0.04 को मूल खसरा नम्बर 1965/2/0.08 का पूर्वी सीमा से लगता हुआ के स्थान पर दक्षिणी सीमा से लगता हुआ घोषित किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

4. अतः वादीया का वादपत्र स्वीकार कर वादीया के हक में डिक्री किया जाता हैं कि स्थित ग्राम पावटा के खसरा नम्बर 1965/7/0.04 को मूल खसरा नम्बर 1965/2/0.08 का **पूर्वी सीमा से लगता हुआ के स्थान पर दक्षिणी सीमा से लगता हुआ घोषित कर दुरूस्त किया जाता है।** तदानुसार राजस्व रिकार्ड में लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हों। अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

1

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
86/2025	2025/209	05.06.2025	23.02.2026

शीर्षक

निर्मला यादव पत्नी ओमप्रकाश यादव, जाति अहीर निवासी ढाणी बल्डा की ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड (राज) **वादीया**

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। **प्रतिवादी**

वाद पत्र बाबत घोषणात्मक एवं दुरस्तीकरण

अतः वादीया का वादपत्र स्वीकार कर वादीया के हक में डिक्री किया जाता हैं कि स्थित ग्राम पावटा के खसरा नम्बर 1965/7/0.04 को मूल खसरा नम्बर 1965/2/0.08 का **पूर्वी सीमा से लगता हुआ के स्थान पर दक्षिणी सीमा से लगता हुआ घोषित कर दुरूस्त किया जाता है।** तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आज दिनांक 23.02.2026 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	